न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, **I.A.S.**

प्रकरण संख्या –70/2013 (अपील)

GCMS No.- 2013/00027

1. महेन्द्र कुमार आत्मज श्री मांगीलाल महाजन निवासी 9–ए वल्लभ नगर, कोटा
2. श्रीमती रीता विजय पत्नी श्री पुरूषेत्तम महाजन निवासी 9–ए वल्लभ नगर, कोटा

–अपीलाण्ट.

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बनाराजगी निर्णय दिनांक 29.08.1981 योग्य तहसीलदार लाडपुरा जिस आधार पर नामान्तकरण नम्बर 18 दिनांक 20.2.1983 तस्दीक किया गया ।

उपस्थितः–

1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक–19.03.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने प्रकरण दिनांक 29.08.1981 से ग्राम गुमानपुरा की आराजी खसरा नं0 108 द्वारक्या की बावडी वाला जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 151 कायम किये गये की भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश किया गया था । जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 20.2.1983 तस्दीक किया गया ।

2. तहसीलदार लाडपुरा के उक्त आदेश एवं नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 15.5.2018 के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.03.2013 को लिमिटेशन एक्ट की धरा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई, अधीनस्थ न्यायालय की सम्बन्धित पत्रावली हेतु लिखा गया किन्तु पत्रावली उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने पत्रांक/816 दिनांक 20.2.2024 से अवगत कराया है कि 29.8.1981 के अनुसरण में स्वीकृत नामान्तकरण सं0 18 दिनांक 20.2.1983 ग्राम गुमानपुरा की मूल पत्रावली कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हो पा रही है । अपीलान्ट द्वारा भी आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की है केवल नामान्तकरण की प्रति प्रस्तुत की है । वकील अपीलान्ट एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।

3. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कोटा शहर के ग्राम गुमानपुरा तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 108 द्वारक्या की बावडी वाला जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 151 कायम किये गये है को बिना किसी आदेश के तथा बिना खातेदार काबिज को सूचित किये योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने सिवायचक दर्ज कर दिया है जो अवैध व निरस्तनीय है । अपीलान्ट द्वारा मौके पर किसी प्रकार का निमार्ण या अकृषि उपयोग नहीं किया है तथा वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं है भूमि पर पुरातन मकानात बने हुए है जो भूसा भरने, मजदूरों के रहने तथा गौशाला के लिये काम आ रहे है तथा अपीलान्टगण ने कोई नया निमार्ण नहीं किया है । अपीलान्ट को सिवायचक होने की जानकारी होने पर अपीलान्टा ने पत्रावली तलाश की तो पत्रावली नहीं मिली, इस पर सूचना के अधिकार के अन्तर्गत दिनांक 22.9.2011 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिया । इस पर तहसील से पत्रावली के प्रकार के बारे में जानकारी जिसका जवाब दिनांक 18.10.2011 को दिया इस पर भी नकल नहीं दी गई तथा दिनांक 19.10.2011 को नकल पत्रावली नहीं मिलने से मना कर दिया । इस पर दिनांक 22.9.2011 को सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिया किन्तु नकल नहीं दी । इस पर पुनः दिनांक

जिला कलक्टर
कोटा

7.11.2012 को प्रार्थना पत्र दिया किन्तु नकल नहीं दी । तथा मौखिक कहा कि पत्रावली नहीं मिल रही है जिससे इन्तकाल नम्बर 18 दिनांक 20.2.1983 जिसमें तहसील के आदेश का उल्लेख है तथा उसी आदेश की पालना में भूमि सिवायचक की है की नकल दिनांक 8.3.2013 को प्राप्त कर यह अपील जानकारी की तारीख से अवधि मध्य प्रस्तुत की गई । वादग्रस्त भूमि मय मकान के अपीलान्ट्स ने 26.10.1966 को क्रय की है तब से लगातार अपीलान्ट्स का कब्जा चला आ रहा है तथा आज तक अपीलान्ट्स को बेदखल नहीं किया गया है । अपील स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें ।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि का आदेश 29.8.1981 का है, जिसके आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है किन्तु उक्त आदेश की मूल पत्रावली तहसील में नहीं मिल रही है । वर्तमान में वादग्रस्त भूमि 108 के नवीन खसरा नम्बर 151 रकबा 0.22 हे0 गे0मु0 हवाई अड्डा के नाम दर्ज है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार लाडपुरा के आदेश दिनांक 29.8.1981 की पालना में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या नम्बर 18 दिनांक 20.2.1983 के विरूद्व अपील पेश की है । अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है तथा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने पत्रांक/816 दिनांक 20.2.2024 से अवगत कराया कि उक्त पत्रावली कार्यालय रेकार्ड में उपलब्ध नहीं हो रही है । पेरोकार सरकार द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि की नकल जमाबंदी प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि वर्णित भूमि खसरा नं0 151 की 0.22 हे0 गे.मु. हवाई अड्डा होकर भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के नाम दर्ज है । इस प्रकरण में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को पार्टी नहीं बनाया गया है, इस कारण इस अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

6. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

7. निर्णय आज दिनांक 19.3.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा